कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर।

(आपूर्ति शाखा)

(प्रेस विज्ञप्ति संख्या–01/2022)

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1222, दिनांक–08.03.2017 द्वारा संसूचित माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या–4453/2016 के संदर्भ में दिनांक–14.12.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0–2342 दिनांक–15.02.2016 में निहित प्रावधानों के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनवितरण प्रणाली दुकान की रिक्तियों का रोस्टर के आधार पर नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए पटना सदर अनुमण्डल अन्तर्गत संबंधित पंचायत/वार्ड (नगर निगम क्षेत्र में) में चिन्हित व्यापार स्थल हेतु (पटना अनुभाजन) कुल 206 रिक्त दुकानों की नई नियुक्ति के लिए योग्य आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–234/आ0 दिनांक–01.02.2021 द्वारा निदेश प्राप्त है कि रिक्त स्थानों के विरूद्ध समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन कर रिक्तियों को भरने की कार्रवाई की जाय।

विभागीय पत्रांक–1514/खाद्य, दिनांक–04.04.2019 से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में पटना सदर अनुमण्डल अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र का रोस्टर विन्दु संख्या 670 से 875 तक कुल 206 रिक्तियों पर जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु नये सिरे से आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति सं0–02/2021 प्रकाशित किया गया था, जिसके आधार विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त हुआ था। इसमें 206 पदों के विरूद्ध 149 पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। शेष 57 पद के विरूद्ध कोई योग्य आवेदक द्वारा आवेदन नहीं किया गया। फलस्वरूप 57 पद रिक्त है। जिला पदाधिकारी, पटना के आदेश ज्ञापांक–1996/आ0, दिनांक–24.12.2021 एवं ज्ञापांक–503/आ0, दिनांक–07.03.2022 द्वारा रिक्त पदों पर पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है।

अतः प्राप्त आदेश के आलोक में पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0–02/2021 के आधार पर रिक्त बचे पदों के लिए निम्न प्रकार रोस्टर बिन्दु सहित रिक्ति प्रकाशित की जाती है।

आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फार्म :–पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूची–01 तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित अनुसूची–02 में अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के कार्यालय में दिनांक–09.07.2022 तक कार्यालय अवधि में स्वयं जमा कराया जा सकेगा। जिस रिक्ति के विरूद्ध आवेदन दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख (यथा वार्ड संख्या एवं आरक्षण कोटि) लिफाफे के उपर एवं मूल आवेदन के प्रथम पृष्ठ के उपरी भाग में मोटे अक्षरों में स्पष्ट अंकित रहना चाहिए। जिस लिफाफे एवं मूल आवेदन के प्रथम पृष्ट पर यह अंकित नहीं रहेगा, वह आवेदन अयोग्य माना जायेगा।

Scanned with CamScanner

1. आयु / शैक्षणिक योग्यता :–
   (क) न्यूनतम आयु 18 वर्ष
   (ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता–मैट्रिक पास
   (ग) कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
   (घ) कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जायेगी।
   (ङ) समान शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
   (च) समान शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक की समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएँ (आरक्षण के प्रावधानान्तर्गत) :–
   (क) स्वयं सहायता समूह
   (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ
   (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ
   (घ) शिक्षित बेरोजगार
   (ङ) संबंधित वार्ड (नगर क्षेत्र) के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
   (च) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित वर्ग/जाति का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

   स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ वर्गों की महिलाएँ तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।
3. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ :–
   (क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
   (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद्, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।
   (ग) आटा चक्की का मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
   (घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

Scanned with CamScanner

(ड़) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

(च) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

4. चयन प्रक्रिया :– सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। जाँचोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे। जिलास्तरीय चयन समिति के चयन के उपरान्त चयनित आवेदक को मो0 1000/– (एक हजार) रूपये का ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी – सह – अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

5. आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :–विहित प्रपत्र में पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक सभी कागजातों के साथ दिनांक–09.07.2022 की संध्या 05 बजे तक अनुमण्डल कार्यालय पटना सदर में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6. वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र.	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	वार्ड/पंचायत	रोस्टर बिन्दु संख्या	आरक्षित कोटि बैकलॉग सहित
1	2	3	4	5
1	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–1	673	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) (अनु0जाति)
2	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–1	678	अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)
3	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–1	679	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) (अनु0जाति)
4	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–1	683	अनारक्षित (अनु0जाति)
5	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–1	685	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) (अनु0जाति)
6	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–1	686	अनु0 जाति
7	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–1	687	अनारक्षित (अनु0जाति)
8	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–2	700	अत्यन्त पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
9	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–2	708	अत्यन्त पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
10	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–5	715	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) (अनु0जाति)
11	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–5	719	अनारक्षित (अनु0जाति)
12	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–5	721	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) (अनु0जाति)
13	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–5	723	अनारक्षित (अनु0 जाति)
14	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–5	724	अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)
15	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–5	725	अनारक्षित (अनु0 जाति)
16	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–5	726	अत्यन्त पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)

Scanned with CamScanner

17	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–6	727	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) (अनु0 जाति)
18	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–6	728	अनु0 जाति
19	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–6	729	अनारक्षित (अनु0 जाति)
20	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–6	731	अनारक्षित (अनु0जाति)
21	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–6	733	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) (अनु0जाति)
22	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–6	734	अनु0 जाति
23	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–6	737	अनारक्षित (अनु0ज0जाति)
24	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–7	739	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) (अनु0ज0जाति)
25	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–7	740	अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)
26	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–7	741	अनारक्षित (अनु0ज0जाति)
27	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–7	743	अनारक्षित (अनु0ज0जाति)
28	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–7	744	अनुसूचित जन जाति
29	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–7	745	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) (अनु0ज0जाति)
30	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–7	747	अनारक्षित (अनु0ज0जाति)
31	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–8	754	अत्यन्त पि0 वर्ग
32	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–11	774	अनु0 जाति
33	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–11	778	अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)
34	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22	792	अनु0 जाति
35	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22A	800	अत्यन्त पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
36	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22A	808	अत्यन्त पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
37	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22B	810	अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)
38	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22B	812	पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
39	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22B	814	अत्यन्त पि0 वर्ग
40	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22B	815	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
41	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22B	816	अनु0 जाति
42	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22B	818	पि0 वर्ग की महि0
43	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22B	820	अत्यन्त पि0 वर्ग
44	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22C	824	अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)
45	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड नं0–22C	826	अत्यन्त पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
46	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड न0–24	830	पि0 वर्ग
47	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड न0–24	832	अत्यन्त पि0 वर्ग
48	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड न0–25	834	अनु0 जाति
49	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड न0–28	836	अत्यन्त पि0 वर्ग
50	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम वार्ड न0–30	844	अनुसूचित जन जाति

Scanned with CamScanner

51	**पटना नगर निगम**	पटना नगर निगम वार्ड न0–31	848	अनु0 जाति
52	**पटना नगर निगम**	पटना नगर निगम वार्ड न0–33	854	अत्यन्त पि0 वर्ग
53	**पटना नगर निगम**	पटना नगर निगम वार्ड न0–33	856	अनु0 जाति
54	**पटना नगर निगम**	पटना नगर निगम वार्ड न0–34	860	अत्यन्त पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
55	**पटना नगर निगम**	पटना नगर निगम वार्ड न0–40	864	पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
56	**पटना नगर निगम**	पटना नगर निगम वार्ड न0–40	868	अनु0 जाति
57	**पटना नगर निगम**	पटना नगर निगम वार्ड न0–45	874	अनु0 जाति

नोट :–(1) बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016, के अधीन उचित मूल्य की दुकान के लिए विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र अनुसूची–1 एवं अनुसूची–02 में वर्णित बिन्दुओं से संबंधित साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोट :–(2) आवेदन पत्र के साथ स्थायी आवास प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, कम्प्यूटर की योग्यता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोट :–(3) इस रिक्ति प्रकाशन के पूर्व अगर किसी आवेदक द्वारा आवेदन किया गया हो तो वह मान्य नहीं होगा, इसे निरस्त समझा जाय।

नोट :–(4) अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0) – अनारक्षित (क्षैतिज आरक्षित महिला),
पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0) – पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षित महिला),
पि0 वर्ग– पिछड़ा वर्ग,
अ0 पि0 वर्ग– अत्यंत पिछड़ा वर्ग,
अ0 पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0) – अत्यंत पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षित महिला)
अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0) – अनुसूचित जाति (क्षैतिज आरक्षित महिला),
अनु0 जाति– अनुसूचित जाति,
अनु0 ज0 जाति– अनुसूचित जनजाति,
पि0 वर्ग की महि0 – पिछड़ा वर्ग की महिला

14/6/22

अनुमण्डल पदाधिकारी,
पटना सदर।

Scanned with CamScanner